न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 34/2017 (223 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2017/00162

उनवान

श्रीमति माया उम्र 60 वर्ष पत्नी श्री उग्रसैन जाति ठाकुर निवासी ग्राम पिदावली तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. बेताल सिंह पुत्र लाखन सिंह
2. तेताल सिंह पुत्र लाखन सिंह
3. कम्पोटर सिंह पुत्र लाखन सिंह
4. कम्मोद सिंह पुत्र लाखन सिंह

समस्त जातिगण ठाकुर निवासी ग्राम पिदावली तह0 बाडी जिला धौलपुर।

5. मान सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह
6. श्याम सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह
7. राजेश्वरी उर्फ श्यामो वेवा अजमेर सिंह
8. रामविलास पुत्र अजमेर सिंह
9. बृजेश पुत्र अजमेर सिंह
10. ओमवती पत्नी सुबोध

..... असल रेस्पोडेण्ट

11. पंजाब नेशनल बैंक शाखा धूलकोट धौलपुर तामील जरिये शाखा प्रबन्धक।
12. भूमि विकास बैंक शाखा बाडी तामील जरिये शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा बाडी।
13. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बाडी

.....तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी बाडी दि0 22.05.2017 प्र.सं. 12/2015 उनवानी माया बनाम बेताल सिंह।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री योगेश शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दीनदयाल शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–11.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा बाबत् बॅटवारा काश्त एवं हुक्म इम्तनाई दवामी विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में वादी/अपीलण्ट 1/4 भाग की खातेदार काश्तकार है तथा विवादग्रस्त आराजी के हिस्सा का बाहमी बॅटवारा वादी/अपीलाण्ट की विक्रेता रामकली व अन्य सहखातेदारान के मध्य हो गया था। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 18.04.2016 से प्राथमिक डिक्री करते हुए, तहसीलदार से कुर्रे प्रस्ताव तलब किये एवं प्राप्त कुर्रे प्रस्तावों अनुसार, अपीलाधीन आदेश से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रकरण के तथ्यों व विधिक प्रावधानो के विपरीत है, जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बाडी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिये नियुक्त किया था। तहसीलदार बयाना का यह कर्तव्य था कि वह पक्षकारान को पूर्व सूचना देकर स्वयं मौके पर जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करते। किन्तु तहसीलदार बाडी ने ना तो पक्षकारान को कोई सूचना ही दी एवं ना ही स्वयं मौके पर गये। पटवारी हल्का ने रैस्पो0 से साज कर मनमाने तरीके से विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार किये गये हैं, जो विधि सम्मत नहीं है। उक्त कुर्रो में सडक के सहारे एवं सिंचित भूमि की समस्त आराजी रैस्पो0 को दी है, जिसकी कीमत अधिक है तथा अपीलाण्ट को सडक से दूर पीछे का भाग दिया है, जिसकी कीमत कम है एवं उक्त भूमि पर जाने के लिये कोई रास्ता भी नहीं है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है अतः कुर्रे विधिमान्य नहीं हैं। इसके अलावा अपीलाण्ट व रैस्पो0 को एक ही खसरा नम्बर 1384/1 दे दिया है जबकि खसरा नम्बर 1384 का अपीलाण्ट व रैस्पो0 के लिए बटा नम्बर के रूप में पृथक–पृथक खसरा नम्बर कायम करना चाहिए था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाये जाने तथा प्रकरण पुनः विधिसम्मत विभाजन प्रस्ताव तलब कर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत कुर्रे प्रस्ताव तलब करते हुए, निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की सहमति जताई।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलांट का प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह कथन रहा है कि कुर्रे प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये गये हैं एवं सडक किनारे की अच्छी व सिंचित भूमि रैस्पो0 को दी गई है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रेजात प्रस्तावो का अवलोकन किया। उक्त विभाजन प्रस्तावो पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजूद हैं। अतः अपीलाण्ट/वादी का यह कथन कि, कुर्रे प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये, मान्य नहीं है। परन्तु उक्त विभाजन प्रस्तावों में खसरा नम्बर 1384/1, कुरा संख्या 01 व 04 दो स्थानो में शामिल होने एवं उपविभाजित भूमि(बटा नम्बरों) को पृथक–पृथक रंगो में नहीं दर्शाये जाने की त्रुटि अवश्य है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट की अन्य आपत्ति कि सडक किनारे की अच्छी व कीमती भूमि, रैस्पो0 को दी गयी है जबकि अपीलाण्ट को सडक से दूर की भूमि दी गयी है, पर भी विचार कर निर्णय किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त विवेचनानुसार, अभिभाषक उभयपक्ष की सहमति एवं न्यायहित को ध्यान में रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार स्वयं सभी पक्षकारो को सूचित कर विभाजन के नियमों अनुसार पुनः कुर्रेजात रिर्पोट प्रस्तुत करे एवं प्राप्त कुर्रेजात पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, विवादित आराजी में, अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी, का पक्षकारो के मध्य विभाजन कर, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.10.2018 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।
8. निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official